

# कृषि अवशेष को जलाने का विकल्प

ऐसी व्यवस्था जो विकल्पों को प्रोत्साहित करे और फैलाए

Dr G V Ramanjaneyulu, CSA

Email: [ramoo@csa-india.org](mailto:ramoo@csa-india.org)

# मुख्य चुनौतियां

- धान-गेहूं का फसल चक्र जो हरित क्रांति/सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नीतियों से जुड़ा है
- पहले कृषि नीति एवं शोध ने ही कृषि अवशेष जलाने को प्रोत्साहित किया
- जून से पहले धान की बआई पर रोक का कानून आने से धान की कटाई और गेहूं की बिजाई के बीच समय कम हुआ
- श्रम की उपलब्धता एवं लागत - कृषि अवशेष हटाने में खर्चा
- “धान पराल चारे के रूप में पशुओं को पसंद नहीं” (पराल पर रासायनिक अवशेषों का मुद्दा भी) - पशुओं की ज़रूरत से ज्यादा उत्पादन?
- सर्दी में कोहरे की समस्या

# बदलाव की ज़रूरत

- किसान के स्तर खेती के टिकाऊ होने की चुनौती
- उपयोगी पोषक तत्व एवं जैव अंश का नुकसान
- भूजल का दोहन
- मिट्टी का नुकसान
- वायु प्रदूषण - स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव विशेष कर के बच्चों पर
- जलवायु परिवर्तन/आपातकाल

# हल

- कृषि अवशेष पैदा ही न हो (फसल परिवर्तन)
- कृषि अवशेष का उपयोग खेत में ही या समेकित कृषि प्रणाली के तहत अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी की उपजाऊ ताकत बढ़ाने के लिए
- गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग

**किन उपायों को प्रोत्साहित किया जा रहा है :**

- हैपी सीडर, सुपर सीडर, रोटो सीडर जैसी मशीनों पर सब्सिडी
- कम अवधि के धान और धान की सीधी बिजाई
- गैर कृषि उपयोग के लिए पराल की खरीद

# किसान के स्तर पर उपाय

- धान-गेहूं चक्र को छोड़ें
  - खरीफ़/रबी दलहन: आंध्र का अनुभव
  - दलहन जैसे सूरजमुखी/अरंडी/तिल/सरसों
  - छोटी अवधि का धान लें ताकि गेहूं बिजाई के लिए ज्यादा समय मिले या धान की सीधे बिजाई करें
- कृषि अवशेष का प्रयोग
  - आच्छादन के लिए प्रयोग: जैव टीकों के प्रयोग के साथ
  - मिट्टी में मिलाएं: रोटोवेटर के प्रयोग से
  - खाद के रूप में: कट्टर और डीकम्पोज़र के प्रयोग से
  - चारे के रूप में: जैव टीकों के प्रयोग के साथ
  - उपयुक्त तकनीक, छोटी मशीन, किराये पर उपलब्ध हों
  - जैव ईंधन: गैस में बदल कर/बायोगैस
  - लकड़ी के बोर्ड इत्यादि के रूप में

# विभिन्न फसलों की लागत और आय

	पंजाब				हरियाणा					
	धान	मक्का	गेहूं	सरसों	धान	बाजरा	कपास	गेहूं	चना	सरसों
उत्पादन लागत (रु/हैक्टर)	81378	70719	71103	56728	83876	40676	70242	75410	42588	63380
उत्पादन (क्विंटल हैक्टर)	75	40	52	15	57	19	14	51	19	20
उत्पादन लागत (रु/क्विंटल )	1085	1768	1367	3782	1472	2141	5017	1479	2241	3169
न्यूनतम समर्थन मूल्य	1868	1850	1925	4425	1868	2150	5515	1925	4875	4425
कुल आय (रु/हैक्टर)	140100	74000	100100	66375	106476	40850	77210	98175	92625	88500
शुद्ध आय (रु/हैक्टर)	58722	3281	28997	9647	22600	174	6968	22765	<b>50037</b>	<b>25120</b>
शुद्ध आय (रु/एकड़)	23489	1312	11599	3859	9040	70	2787	9106	20015	10048

# सरकार का वर्तमान खर्च

सब्सिडी	पंजाब	हरियाणा
कुल शुद्ध बोया रकबा	41,19,000 हेक्टर	35,22,000 हेक्टर
बिजली पर सब्सिडी	रु 16,148/हेक्टर	रु18,756/हेक्टर
	रु 6,651.00 करोड़ प्रति वर्ष	रु 6,605 करोड़ प्रति वर्ष
खाद पर सब्सिडी	Rs. 13,525/हेक्टर	Rs. 11,601/हेक्टर
	रु. 5,571 करोड़ प्रति वर्ष	रु. 4,085 करोड़ प्रति वर्ष
कुल	रु. 29,674/हेक्टर	रु30,357 /हेक्टर
	रु 12,222 करोड़ प्रति वर्ष	रु. 10,690 करोड़ प्रति वर्ष

# Village level expenditure

				Subsidy per ha NSA (Rs/ha)								
	Power Subsidy (Rs crore)	Fertiliser subsidy (Rs crore)	Net Sown area	Power per Ha	Fertilizer per Ha	Total, per Ha	Average farm size (ha)	Subsidy per farm (Rs/year)	Number of villages	NSA per village (ha)	NSA per village (acre)	Subsidy per village
Punjab	6651	5571	4119000	16148	13525	29674	3.62	1,07,420	12729	323.59	809	96,02,263
Haryana	6605	4085	3522000	18756	11601	30357	2.2	66,785	6955	506.40	1266	1,53,72,732
Average								87,103				1,24,87,498

**SUBSIDY PER HECTARE ON TWO COST COMPONENTS IS HIGHER THAN NET RETURNS PER HECTARE IN SEVERAL CROPS!**



# प्रोत्साहन जो बदलाव ला सकते हैं

## किसान के स्तर पर

- दालों और दलहन की ओर बदलाव को प्रोत्साहन - कीमत प्रोत्साहन के अलावा पैदा करने के लिए भी एव गेहूँ या धान में से केवल एक की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी परन्तु इस के साथ ही दूसरी फसलों की खरीदी सुनिश्चित हो
- आग न लगाने के लिए प्रोत्साहन राशी

## सामूहिक स्तर पर

- व्यक्तिगत सहायता के स्थान पर मशीन किराये पर उपलब्ध कराएं
- रसायन मुक्त खेती की ओर, किसान उत्पादक संघ, आर्थिक एवं पर्यावरण मापदंड आधारित स्थानीय ढांचा

## क्षेत्रीय स्तर पर

- कृषि के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन और गाँव/खंड/जिला स्तर पर आग न लगाने के अलावा रासायनिक खाद के प्रयोग में कटौती, पानी एवं उर्जा की बचत के लिए प्रोत्साहन